N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0096 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/04/2026 15:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 08/04/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:32 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/04/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/04/2026 15:24:04 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 115 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** AAGAR DAUSA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** REVADMAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NANGARAM MALI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHATAVA, LALSOT, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHATAVA, LALSOT, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VISHARAM MEENA		पिता:RAMKARAN MEENA	1. GRAM AVM POST SAMALETI,MAHAWA,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि हैल्पलाइन नम्बर 1064 प्रभारी से प्राप्त इतला पर दिनांक 26.03.2026 मन उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान द्धारा दिनांक 26.03.2026 समय 05.09 पीएम पर परिवादी श्री रेवडमल माली के मोबाइल नं. पर कॉल कर वार्ता की गई और परिवादी को अपना परिचय दिया जाकर उसका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम रेवड मल माली पुत्र श्री नानगराम माली उम्र 37 साल जाति माली निवासी खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा हाल परिचालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार में कार्यरत होना बताया और बताया कि मैं बीमार होने पर डयूटी पर नहीं गया और ठीक होने दिनांक 19.01.2026 को डयूटी पर उपस्थित आया और इस अवधि का मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने के लिए हमारे चीफ साहब श्री विश्राम मीणा प्रबन्धक मेरे से 20,000/-रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं उनको रिश्वत नहीं देना चाह रहा हूं और उनके कार्यवाही करवाना चाहता हूं, मैं डयूटी पर होने के कारण आपके कार्यालय नहीं आ सकता, मैं दिनांक 02.04.2026 को वापिस डयूटी से दौसा पहूंचुंगा तब आप आपके कार्यालय से स्टाफ भेज देना मैं रिश्वत मांग सत्यापन करवा दुंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर निर्देश दिये गये दिनांक 02.04.2026 को आपसे, मेरे कार्यालय का कर्मचारी श्री सुण्डाराम हैड कानि. आपसे सम्पर्क कर लेगा। तत्पश्चात दिनांक 02.04.2026 को वक्त करीब 7.30 ए.एम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइलस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकालकर उसमे नया मैमोरी कार्ड 32 जीबी सैनडिस्क को डालकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री सुण्डाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर व परिवादी श्री रेवडमल माली के मोबाईल नम्बर दिये जाकर हिदायत दी गई कि वह दौसा जाकर परिवादी श्री रेवडमल माली से जरिए मोबाइल सम्पर्क कर परिवादी को आरोपी के पास भिजवाये जाने से पूर्व परिवादी से उसकी षिकायत के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर तथा वॉईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर अपने पास रखे की हिदायत से साथ रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री सुण्डाराम हैड कानि. को समय 08.00 एएम पर दौसा रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.15 पी.एम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने जरिए वाट्सअप कॉल मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं, दौसा पहुंचकर परिवादी श्री रेवडमल माली से सम्पर्क करने पर परिवादी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर के नाम संबोधन करते हुए एक स्वयं को हस्तलिखित प्रार्थना पत्र कार्यवाही करवाने के लिए पेश किया तथा जिस पर मैने निर्देषानुसार विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की विधि समझाकर आरोपी के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार रवाना कर दिया था जिस पर करीब पचास मिनट बाद परिवादी रेवडमल माली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार से बाहर आ गया और मैनें परिवादी से वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर लिया एवं परिवादी ने बताया है कि मेरे कार्यालय प्रभारी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान पथ परिवहन निगम दौसा आगार से रिश्वत के संबंध में स्पष्ट वार्ता नहीं हो पाई है, मुख्य प्रबंधक ने कहा है बता देंगे बात कर लेंगे उक्त बातों की ताईद परिवादी श्री रेवडमल माली ने भी की । तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री सुण्डाराम हैड कानि. निर्देश दिये गये कि परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर मौके पर ही छोडकर वॉइस रिकॉर्डर सहित उपस्थित कार्यालय आवें। तत्पश्चात वक्त करीब 8.30 पी.एम रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर के नाम संबोधन से इस आशय का था ''मैं रेवड मल माली पुत्र श्री नानगराम माली उम्र 37 साल जाति माली निवासी खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा हाल परिचालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार में कार्यरत हूं। निवेदन इस प्रकार है कि 18 दिसम्बर 2025 से बीमार होने पर मैडिकल अवकाश पर उपचार के लिए कार्यालय से अवकाश पर रहा। 19 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य ठीक होने पर ड्यूटी ज्वाईनिंग कर ली थी व मैडिकल से संबंधित चिकित्सकीय सभी दस्तावेज कार्यालय बाबू (एलडीसी) श्री भगवत जी को सुपुर्द कर दिये थे उसके बाद मैं, मेरे कार्यालय प्रभारी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार से दिनांक

25.03.2026 को मैडिकल पास करवाने बाबत ऑफिस मे जाकर उनसे सम्पर्क किया जिस पर विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक ने मेरे से मैडिकल पास करने की एवज में 20,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की जबकि मै मुख्य प्रबंधक विश्राम मीणा, आगार दौसा को रिश्वत नही देना चाहता हूं। मेरी विश्राम मीणा से कोई पैसे की उधारी नही है व उनसे किसी भी प्रकार की कोई रंजिश या दुष्मनी नही है। मै विश्राम मीणा मुख्य प्रबंधक आगार दौसा को रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं कार्यवाही करने की कृपा करें। तत्पष्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी व संदिग्ध आरोपी मुख्य प्रबंधक राजस्थान पथ परिवहन निगम दौसा आगार के मध्य रिश्वत मांग के संबंध में स्पष्ट वार्ता होना नहीं पाई गई। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक दिनांक 03.04.2026 को वक्त करीब 6.30 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी द्वारा श्री रेवडमल माली को कॉल कर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कहा तो परिवादी ने पुनः सत्यापन करवाये जाने की सहमती दी और परिवादी ने बताया दिनांक 07.04.2026 को मेरा ड्यूटी से ऑफ रहूंगा तब आप आपके कर्मचारी को भेज देना। मैं, विश्राम मीणा मुख्य प्रबंधक से पुनः रिश्वत मांग सत्यापन करवा दुंगा। तत्पश्चात दिनांक 07.04.2026 को वक्त करीब 8.00 एएम रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइलस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड 32 जीबी सनडिस्क जिसमें दिनांक 02.04.2026 को परिवादी श्री रेवडमल माली व संदिग्ध आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबन्धक आगार दौसा के मध्य हुई रूबरू वार्ता मैमोरी कार्ड के फॉल्डर 01 में रिकार्ड है को कार्यालय की आलमारी से निकालकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री सुण्डाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह दौसा जाकर परिवादी श्री रेवडमल माली से जरिए मोबाइल सम्पर्क कर परिवादी को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर अपने पास रखे एवं मन उप अधीक्षक पुलिस को समस्त हालात जरिए वाट्सअप कॉल बताते रहें एवं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर से अनावश्यक छेडछाड नही करें। पुनः रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री सुण्डाराम हैड कानि. को पाबन्द किया गया कि मेरे द्वारा कॉल करने पर ही या परिवादी का आपके पास कॉल आने पर ही एसीबी कार्यालय से दौसा के लिए रवाना होवे। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान राजकार्य से चौकी हाजा से बाहर होने पर समय करीब 09.45 एएम पर परिवादी श्री रेवडमल माली का फोन आया सत्यापन के लिए कर्मचारी दौसा भिजवाने का कहां। जिस पर जरिये वाट्सएप कॉल पूर्व से पाबन्दशुदा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को पुनः सत्यापन हेतु चौकी से दौसा रवाना होने के निर्देश दिये गये। इसके बाद समय करीब 01.52 पीएम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने जरिये वाट्सअप कॉल मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी ने रिश्वत मांग सत्यापन करा दिया गया है आरोपी ने परिवादी के मेडीकल अवकाश स्वीकृत करने की एवजं में 20000/-रूपये रिश्वत की मांग की है तथा बताया कि परिवादी कल डयूटी पर जाने से पूर्व आरोपी विश्राम मीणा को रिश्वत राशी दे सकता है। श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने परिवादी से भी अपने फोन से वार्ता कराई तो परिवादी ने उपरोक्त हैड कानि के तथ्यो की ताईद की एवं परिवादी ने अलवर आने में असमर्थता जाहिर की दौसा आकर ही कार्यवाही का कहा एवं रिश्वत राशी के साथ मैं दौसा ही मिल जाउंगा। जिस परिवादी को दिनांक 08.04.2026 को 10.00 एएम पर दौसा रेल्वे स्टेशन पर उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई। श्री सुण्डाराम हैड कानि. निर्देश दिये गये कि परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर मौके पर ही छोडकर वॉइस रिकॉर्डर सहित उपस्थित कार्यालय आवें। तत्पश्चात वक्त करीब 5.00 पी.एम रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर में मैमोरी कार्ड के फॉल्डर 02 में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन सुना गया तो परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान पथ परिवहन निगम दौसा आगार के मध्य रिश्वत मांग वार्ता में आरोपी द्वारा 20000/-रूपये की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 08.04.2026 को वक्त करीब 8.00 ए.एम पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान श्री सचिन गुर्जर पुत्र श्री रामावतार गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गिरधपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निजि सहायक ग्रेड द्वितीय, कार्यायल खनि. अभियंता खान एवं भू विज्ञान जिला अलवर व दूसरे ने अपना नाम श्री रिजवान खांन पुत्र श्री जफरूदीन जाति मेंव उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट मोजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक खांन एवं भूविज्ञान विभाग अलवर हाजिर कार्यालय आये। जिन्हे परिवादी श्री रेवडमल माली द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.30 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0, श्री सुण्डाराम हैड कानि. रामजीत सिंह कानि. मय वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड, ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेशचन्द तथा दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री सचिन गुर्जर व श्री रिजवान खान, भीम सिंह कानि., श्री भास्कर हैड कानि., श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ

सहायक, श्री भगवान सिंह कानि. एवं श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के बैग में फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को रखवा कर एक प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब दौसा के लिये रवाना हुआ। श्री रामसिंह कानि. 549 को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 10.30 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा रेल्वे स्टेशन के मैन गेट के पास पहूंचे जहां पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री रेवडमल माली उपस्थित मिला जिसे अपना परिचय देकर जिसे मन् उप अधीक्षक ने सरकारी गाडी बोलेरो में बैठा कर दौसा-शाहपुरा रोड पर मागलबास गांव के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर, सरकारी वाहन बोलेरो में मन उप अधीक्षक, परिवादी रेवडमल माली व दोनों स्वतंत्र गवाहान को बैठाया जाकर परिवादी श्री रेवडमल माली का परिचय दोनों गवाहान श्री सचिन गुर्जर व श्री रिजवान खान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री रेवडमल माली द्वारा दिनांक 02.04..2026 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री रेवडमल माली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन व अब तक की गई कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया गया व लैपटॉप व स्पीकर की सहायता रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सुनवाई गई। उक्त वार्ता में परिवादी ने अपनी व दूसरी अन्य आवाज संदिग्ध आरोपी विश्राम मीणा की होना बताया। रिकार्ड वार्ता में दोनो गवाहान द्वारा भी रिश्वत मांग करना पाये जाने पर सहमत हुये। तत्पश्चात वक्त करीब 12.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रेवडमल माली को संदिग्द आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार को रिश्वत में दी जाने वाली राशी पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशी 20,000/- रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा गवाहान के समक्ष पेश की गई 20,000/-रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित कर उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त रिश्वत राशी मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को गाडी मे बुलाया जाकर नरेश कुमार के बैग के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी निकलवाई जाकर श्री नरेश कुमार से एक साफ अखबार गाडी की शीट पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालकर सभी नोटो पर भलिभांति लगवाया गया, तत्पष्चात परिवादी श्री रेवडमल माली की जामा तलाशी गवाह श्री सचिन गुर्जर से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री नरेश कुमार से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोटो कुल 20,000/- रूपये परिवादी की पहनी हुई शर्ट के सामने की बांयी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊड युक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से मिसकॉल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेनदेन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री नरेश कुमार से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी उसी के बैग में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर फिनोफ्थलीन की रासायनिक क्रिया समझायी गई। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टै्रप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा टै्रप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा टै्रप बॉक्स में रखवाया गया, तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाषी लिवाई गई, तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पष्चात कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर उसमें नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का 32 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री सुण्डाराम को हिदायत दी की रिकॉर्डर को चालू करके ही परिवादी को रवाना करें। तत्पश्चात वक्त करीब 1.40 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, दोनो गवाहान व एसीबी स्टाफ साथ लाये हुये वाहनो से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही दौसा शाहपुरा रोड पर मागलबास गांव के पास हाईवे से कार्यालय दौसा आगार के लिये रवाना हुआ। श्री नरेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीषी के

मुनासिब हिदायत देकर मौके पर छोडा गया। तत्पष्चात वक्त करीब 1.55 पी.एम मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का कार्यालय दौसा आगार के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार के कार्यालय के लिए रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये दौसा आगार परिसर के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 2.32 पी.एम पर परिवादी श्री रेवडमल ने मन उप अधीक्षक पुलिस को मेरे मोबाईल पर वक्त करीब 2.32 पी.एम पर मिस कॉल कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो को परिवादी के ईशारा प्राप्त होने के बाबत अवगत करवाया गया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त दोनो मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर प्रथम मंजिल पर पहूंचा जहां सिढियों के पास बाई तरफ बने कमरे के बहार की तरफ श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक के नाम की नेम प्लेट लगी हुई है, तथा उक्त कमरे का दरवाजा ग्लास/सीसा का लगा हुआ है, जिसको खोलकर उक्त कक्ष में प्रवेश किया तो कक्ष पर लगी बडी चेयर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ तथा सामने विजिटर चेयर पर परिवादी बैठा हुआ मिला और परिवादी ने बडी चेयर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशार कर बताया की ये ही श्री विश्राम मीणा, सीएम साहब है जिन्होनें अभी मुझसे मेरे बीमार होने पर मै दिनांक 18.12.2025 से मैडिकल अवकाश पर रहा तथा स्वास्थ्य होने पर दिनांक 19.01.2026 को ड्यूटी ज्वाईनिंग कर ली थी और मैडिकल से संबंधित सभी चिकित्सकीय दस्तावेज कार्यालय बाबू (एलडीसी) भगवत जी को सुपुर्द कर दिये थे। उसके बाद परिवादी कार्यालय प्रभारी श्री विश्राम मीणा,मुख्य प्रबंधक राजस्थान पथ परिवहन निगम दौसा आगार से दिनांक 25.03.26 को मैडिकल पास करवाने बाबत उनके ऑफिस मे जाकर मिला जिस पर विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक ने मेरे से मेरा मैडिकल अवकाश स्वीकृत करने के लिये 20,000/- की मांग की, उसी मांग के क्रम में आज अभी थोडी देर पहले आपके निर्देशानुसार मै इनके पास आया और मैने मेरे मैडिकल के बारे में बातचीत की तो इनहोने 20000/-रूपये प्राप्त कर व अपने हाथो में लेकर अपनी पहनी हुये पेंट की पिछे की बायी जेब में रख लिये। इसके बाद मैने आपको निर्धारित ईशार कर दिया और आप आ गये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के बाताये अनुसार उक्त कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर व आने का मन्तव्य बताकर उसको तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो वह घबरा गया कुछ नही बोला इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को पुनः तसल्ली देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री विश्राम मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा उम्र 50 साल जाति मीणा निवासी ग्राम व पोस्ट समलेटी तहसील महवा जिला दौसा हाल मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि किस काम के लिये ली और अभी कहा है के बारे में पूछा तो श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक कुछ नही बोला चुप बैठा रहा इस पर परिवादी ने स्वयं ही बताया की अभी ये आपके सामने ही चुप बैठे है अभी इन्होने मेरे से कुछ देर पहले ही मेरे मैडिकल अवकाश का निर्णय करने के लिये बातचीत कर मुझसे तयशुदा रिश्वत राशि मांगकर व अपने हाथ में लेकर अपने पहने हुये पेंट की पिछे की बायी जेब रख लिये है, और मुझसे कहा है कि जल्दी ही देरे मैडिकल का फैसला कर देगे। इसके बाद मैने आपको ईशार कर दिया। इसके बाद आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक से पुनः पूछने पर दोनो गवाह व ट्रेप पार्टी के सदस्यो के समक्ष परिवादी से उसके मैडिकल अवकाश के निर्णय के लिये आज अभी कुछ देर पहले 20000/-रूपये की रिश्वत राशि लेना व उक्त ली गई रिश्वत राशि अपनी पहनी हुये पेंट की पिछली बायी जेब में रखी होना बताया। तत्पश्चात उक्त कमरे में लगी हुई टेबिल पर रखी हुई पानी की बोतल में से ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1, R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद गवाह श्री सचिन गुर्जर से आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक के बताये अनुसार उसके पहने हुये पेंट की पिछे की बायी जेब की

तलाशी लिवाई जाने पर उक्त जेब से 500-500 रूपये के नोट बरामद हुये। उक्त बरामदशुदा नोटो को दोनो गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदशुदा नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500- 500 के 40 नोट कुल 20000/-रूपये नम्बरी नोट होना पाये गये। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20000/- की रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर शील मोहर कर उक्त कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद बाजार से नया लोवर मंगवाया जाकर मुख्य प्रबंधक कक्ष में ही आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक को पहनने को दिया गया एवं आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक के बदन पर पहनी हुई पेन्ट को शिष्टाचार पूर्वक उतरवाई जाकर लोवर पहनाया गया। तत्पश्चात उक्त पेन्ट की पिछे की बायी जेब जिसमें रिश्वत की राशि बरामद हुई थी को एक नये पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे पानी से साफ करवाकर उक्त कमरे में रखी पानी की बोतल से पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में आरोपी श्री विश्राम मीणा, प्रमुख प्रबंधक के बदन से उतरवाई गई पेन्ट की पिछे की बायी जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो धौवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे देखकर सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धौवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1, P-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी के बदन से उतरवाई गई पेन्ट की पिछे की बायी जेब जिसे उल्टाकर धौवन लिया गया है, उक्त जेब को सुखाकर उक्त जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे थैली में रखकर सील मोहर का उक्त थैली पर सभी संबधितो के हस्ताकर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी से परिवादी के काम से संबंधित मैडिकल अवकाश के कागजात के बारे में पुछा तो आरोपी श्री विश्राम मीणा, प्रमुख प्रबंधक ने संस्थापन शाखा से प्रभारी संस्थापन से मंगवाकर पेश किया जिनका अवलोकन किया गया तो परिवादी के मैडिकल अवकाश के कागजात दिनांक 19.01.2026 को आगार में दिया गया है जिसको दिनांक 10.02.2026 को संस्थापन शाखा प्रभारी द्वारा नोटशीट के पैरा एन पर लिया गया है। नोटशीट के पैरा 1 से लेकर 9 तक विभिन्न टिप्पणीया अंकित की गई है, पैरा 9 मे परिवादी के पास 70 दिन की एचपीएमएल अवकाश शेष होने की टिप्पणी दिनांक 10.03.2026 को संस्थापन प्रभारी द्वारा की गई है तथा इसी दिन प्रबंधक प्रशासन द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य प्रबंधक को मार्क की जाकर जरिये डिस्पेच नम्बर 62 दिनांक 16.03.2026 से मुख्य प्रबंधक को भिजवाई गई है। उक्त रिकार्ड अनुसार परिवादी का कार्य मुख्य प्रबंधक स्तर पर ही पैण्डिग था। पेशशुदा रिकॉर्ड परिवादी के कार्य का मूल रिकार्ड होने से समस्त रिकॉर्ड की 1 लगायत 13 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर मूल रिकॉर्ड नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रबंधक प्रशासन श्रीमती सरोज कुमारी को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 16 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्री भीम सिंह कानि. 193 से करवाई गई। तत्पश्चात वक्त करीब 4.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री विश्राम मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा, उम्र 50 साल निवासी ग्राम व पोस्ट समलेटी तहसील महवा जिला दौसा हाल मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतार करने का नोटिस जारी किया जाकर एक प्रति आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबन्धक को देकर हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 4.50 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रेवडमल माली से आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार द्वारा 20,000/-रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि एवं पैन्ट धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री भीम सिंह कानि. 02 द्वारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड Sandisk 16 GB डालकर श्री भीम सिंह कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया, करवाई गई वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव सनडिस्क 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः V-1, V-2, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V-1को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क V-2 को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर, उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है। तत्पश्चात वक्त करीब 6.30 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी श्री रेवडमल माली की

मौजुदगी में आरोपी श्री विश्राम मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा, उम्र 50 साल निवासी ग्राम व पोस्ट समलेटी तहसील महवा जिला दौसा हाल मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार गिरफ्तारी की सूचना दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 7.00 पी.एम पर दोनो मौतबिरान एवं परिवादी श्री रेवडमल माली के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार के मध्य दिनांक 02.04.2026 व 07.04.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ता जो कि विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे Sandisk 32 GB के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में दिनांक 02.04.2026 व फोल्डर-2 में दिनांक 07.04.2026 की वार्ता रिकॉर्डशुदा है, को चलाकर एवं सुनकर दिनांक 07.04.2026 को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया था को कार्यालय की आलमारी से निकालकर मय मेमोरी कार्ड 32 जीबी के लगे हुये को ही हमराह लेकर दौसा पहुंच रिकार्ड वार्ता को परिवादी व दोनो गवाहान को विभागीय लेपटॉप की सहायता से सुनाई जाकर अपने पास सुरक्षित रखा गया था को निकाल कर विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री रेवडमल माली ने अपनी स्वयं व आरोपी श्री विश्राम मीणा की आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk 16 GB अंकित है ली जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले SanDisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01 व 02 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ अधिकारी से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सभी सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर शील्डमोहर कर सभी सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया उक्त ट्रांसक्रिप्ट व पैनड्राईव मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री कपिल सोमवंशी से बनवाई गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यू निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल व रूबरू वार्ता दिनांक 02.04.2026 व 07.04.2026 की रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी को मैमोरी कार्ड सहित एक सफेद कपडे की थैली में रखकर उक्त कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 9.30 पी.एम पर उपरोक्त मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार के मध्य आज दिनांक 08.04.2026 को रिश्वत लेन देन के समय हुई रूबरू वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्ड है को दौराने ट्रेप कार्यवाही रिकार्डशुदा वार्ता को चलाकर व सुनकर लेनदेन की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई विभागीय टेपरिकार्डर को मय एसडी कार्ड के ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखवाया गया था को निकाल कर विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी ने अपनी स्वयं व आरोपी श्री विश्राम मीणा की आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk 16 GB अंकित है ली जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हैश वैल्यु निकाली गई। पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्डमोहर कर सभी सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को अनुसंधान हेतू खुला रखा गया

। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यू निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 08.04.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.50 पी.एम. पर कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 70 को श्री सुण्डाराम हैड कानि 02 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समस्त ट्रेप कार्यवाही के पश्चात परिवादी श्री रेवडमल माली को बाद कार्यवाही कार्यालय दौसा आगार से उसके निवास के लिए रूखस्त किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.02 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री भीम सिंह कानि. 192 व श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक, दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री विश्राम मीणा मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों से दौसा आगार से अलवर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त करीब 2.05 ए.एम पर आरोपी श्री विश्राम मीणा, का मैडिकल करवाकर एवं बाद मैडिकल के पुलिस थाना शिवाजी पार्क में जमा करवाकर वहा से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंच दोनो गवहान को बाद कार्यवाही एसीबी चौकी अलवर से जाय तैनाती/निवास के लिए रूखस्त किया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा समस्त वजह सबूत माल/आर्टिकल को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुरक्षित हालात में मालखाना में जमा करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से परिवादी श्री रेवडमल की लिखित रिपोर्ट दिनांक 02.04.2026 के क्रम मे बाद सत्यापन दिनांक 08.04.2026 को ट्रैप कार्यवाही सम्पन्न की गई । कार्यवाही के दौरान उजागर हुये तथ्यो के आधार पर आरोपी श्री विश्राम मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा उम्र 50 साल जाति मीणा निवासी ग्राम व पोस्ट समलेटी तहसील महवा जिला दौसा हाल मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर परिवादी से उसके उसके बीमार होने पर दिनांक 18.12.2025 से 18.01.2026 तक मैडिकल अवकाश पर रहा तथा स्वस्थ्य होने पर दिनांक 19.01.2026 को ड्यूटी ज्वाईनिंग कर ली और मैडिकल से संबंधित सभी चिकित्सकीय दस्तावेज कार्यालय बाबू (एलडीसी) भगवत जी को सुपुर्द कर दिये। परिवादी का मैडिकल अवकाश का निर्णय नही होने पर परिवादी दिनांक 25.03.2026 को आरोपी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान पथ परिवहन निगम दौसा आगार से मिलने पर आरोपी द्वारा परिवादी के मैडिकल अवकाश स्वीकृत करने की एवज में 20000/-रूपये रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत मांग के सत्यापन दिनांक 02.04.2026 व 07.04.2026 को आरोपी द्वारा परिवादी से 20,000/-रूपये की रिश्वत राशि मांग करना एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 08.04.2026 को परिवादी रेवडमल से उक्त मांग के अनुसरण में आरोपी के द्वारा 20,000/-रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना तथा उक्त ग्रहण की गई रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पिछे की बायीं जेब से बरामद होने से आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अतः आरोपी आरोपी श्री विश्राम मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम व पोस्ट समलेटी, तहसील महवा, जिला दौसा हाल मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है । भवदीय (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम अलवर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विश्राम मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा उम्र 50 साल जाति मीणा निवासी ग्राम व पोस्ट समलेटी तहसील महवा जिला दौसा हाल मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, दौसा आगार के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 299 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 633-36 दिनांक 12.04.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-02, जयपुर 2- प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/04/2026 15:40:01

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)